बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संचिका संख्या—17 / एल 1—08 / 2025— **पटना, दिनांक— / /2025**

डा० अभिषेक कुमार, सहायक प्राध्यापक, नेफ्रोलॉजी विभाग, दरभगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा को **दिनांक—01.06.2025 से 08.06.2025** तक की अवधि मे विदेश (ऑस्ट्रिया) की यात्रा के लिए निम्न शर्तों के साथ स्वीकृति / अनुमति प्रदान की जाती है।

2. **डा० कुमार** विदेश प्रवास के समय अपने पेशे से संबंधित किसी प्रकार का कार्य धनोपार्जन हेतु नहीं करेंगे।
3. **डा० कुमार** इस यात्रा में होने वाले सम्पूर्ण व्यय का वहन निजी श्रोत से करेंगे।
4. **डा० कुमार** विदेश जाने से पूर्व विदेश प्रवास की अवधि में अपने कार्यों के निष्पादन की व्यवस्था कर ही विदेश के लिए प्रस्थान करेंगे।
5. **डा० कुमार** को उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् तुरत वापस लौटकर पदस्थापित स्थान पर योगदान कर लेना होगा, अन्यथा सेवा शर्तों के अधीन दंड के भागी होगे।
6. **डा० कुमार** विदेश यात्रा से लौटने के पश्चात् अपने पार—पत्र की छाया प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
7. इस यात्रा अवधि का विनियमन उनको देय अवकाश से स्वीकृत किया जायेगा।

ह०/—
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक—17 / एल 1—08 / 2025— 401(17) **/ पटना, दिनांक—**25/04**/2025**

प्रतिलिपिः— महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— प्राचार्य, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा / डा० अभिषेक कुमार, सहायक प्राध्यापक, नेफ्रोलॉजी विभाग, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— आई०टी० मैनेजर / प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

Renu Kumari 25/04/2025
विशेष कार्य पदाधिकारी।

D/Roumish sir /Passport